रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिम मध्य रेल
Railway Recruitment Cell, West Central Railway
आर.बी.–IV, 290, स्टेशन रोड, साउथ सिविल लाइंस, जबलपुर.482001
RB- IV, 290, Station Road, South Civil lines, Jabalpur-482001
Website:-www.wcr.indianrailways.gov.in

सत्यमेव जयते

वर्ष 2024–25 के लिए पश्चिम मध्य रेलवे में सांस्कृतिक कोटा के अंतर्गत भर्ती

रोजगार अधिसूचना संख्या – 02/2024 (सांस्कृतिक कोटा) दिनांक 29/08/2024

❖ महत्वपूर्ण

- कृपया इस अधिसूचना में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और इस आवेदन पत्र को ऑनलाइन भरने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप आवेदन करने के योग्य हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश पमरे की वेबसाइट–www.wcr.indianrailways.gov.in-> पर उपलब्ध हैं।
- उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट पर भारी लोड/जाम के कारण आवेदन जमा करने में किसी भी तरह की विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन जमा करें।
- यदि उम्मीदवार के पास वैध निजी ई–मेल आईडी नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपना ई–मेल आईडी बनाना चाहिए और भर्ती प्रक्रिया के समाप्ति तक उस ई–मेल आईडी को सुरक्षित रखना चाहिए।
- पश्चिम मध्य रेल की वेबसाइट के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की तिथियों से सूचित किया जाएगा, उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपने व्यक्तिगत मोबाइल नंबर एवं व्यक्तिगत वैध ई–मेल को सक्रिय रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पश्चिम मध्य रेल के सभी पत्राचार केवल एसएमएस/ई–मेल के माध्यम से किये जाएंगे। आरआरसी–डब्ल्यूसीआर किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ई–मेल पते को बदलने के लिए किसी भी अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
- आरआरसी–डब्ल्यूसीआर द्वारा सभी महत्वपूर्ण सूचना एसएमएस/ईमेल से भेजे जाएंगे, जो डब्ल्यूसीआर की वेबसाइट पर अपलोड किया गया होगा और यह माना जाएगा कि उम्मीदवारों द्वारा इसे पढ़ा एवं समझा गया है।
- जिन उम्मीदवारों के पास सांस्कृतिक कोटा के लिए आवश्यक व्यावसायिक योग्यता नहीं है, उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

1. पश्चिम मध्य रेलवे ने वर्ष 2024–25 के लिए सांस्कृतिक कोटा के 02 पदों (मद 2 के अनुसार) को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है।

सारणी

ऑनलाइन आवेदन खुलने की तिथि	09/09/2024
ऑनलाइन आवेदन बंद होने की तिथि एवं समय	08/10/2024 को 23:59 बजे तक

2. **सांस्कृतिक कोटा के अंतर्गत रिक्तियों का विवरण:**
7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार लेवल–2 में भर्ती के लिए सांस्कृतिक कोटा के विरूद्ध रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	पद	वेतनमान	विधा का नाम	पदों की संख्या	पदों का वितरण
01	समूह 'ग'	लेवल–2 (7वें केंद्रीय वेतन आयोग) (पे मैट्रिक्स रू. 19900–63200)	तंतु वाद्य यंत्र अथवा हवा से बजने वाले वाद्य यंत्रों को बजाने वाला कलाकार (जैसे गिटार, सितार, वीणा, वॉयलीन, मेंडोलीन, बांसुरी, सेक्सोफोन इत्यादि)	01 (एक)	पश्चिम मध्य रेल पर
02			तबला वादक	01 (एक)	

नोट –ये रिक्तियॉ सभी समुदाय के उम्मीदवारों के लिए हैं तथा किसी भी समुदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

3. राष्ट्रीयता / नागरिकता

(I) रेलवे सेवाओं में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार होना चाहिए

(क) भारत का नागरिक, या

(ख) नेपाल का नागरिक, या

(ग) भूटान का नागरिक, या

(घ) तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से भारत आया था, या

(ङ) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा और तंजानिया के संयुक्त गणराज्य या जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे, इथियोपिया और वियतनाम से भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आया है ।

बशर्ते कि उपरोक्त श्रेणियों (ख), (ग), (घ) और (ङ) से संबंधित व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

(II) कोई उम्मीदवार जिसके पास भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता का अंतिम प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, लेकिन यदि वह चयनित हो जाता है, तो उसे नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा जारी आवश्यक अंतिम पात्रता प्रमाण पत्र जमा करने के बाद ही दिया जाएगा।

4. आवश्यक योग्यता :

4.1 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :

क. सं.	पद	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
01	लेवल–2	अ). किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50**%** अंक के साथ 12वीं (+2 स्टेज) या समकक्ष परीक्षा। अजा / अजजा / भूत–पूर्व सैनिक / विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों के लिए व्यक्ति या ऐसे उम्मीदवार जिनके पास उच्चतर शैक्षिक योग्यता अर्थात किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक / स्नातकोत्तर इत्यादि है उनके लिए 50**%** अनिवार्य नहीं है। अथवा ब). 7वें. केन्द्रीय वेतन आयोग के पे–मैट्रिक्स के लेवल–2 में टेक्नीशियन–III के लिए 10वीं पास प्लस एनसीव्हीटी / एससीव्हीटी से अनुमोदित कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप / आईटीआई। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सहित कोई अन्य योग्यता वैकल्पिक योग्यता के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

टिप्पणी – यदि किसी व्यक्ति को लिपिक–सह–टंकक के पद में नियुक्त किया जाता है तो उन्हें नियुक्ति तिथि से दो वर्ष के भीतर अंग्रेजी में 30 डब्ल्यूपीएम या हिन्दी में 25 डब्ल्यूपीएम की टाइपिंग प्रवीणता प्राप्त करनी चाहिए तथा इस समय तक इस पद पर उनकी नियुक्ति अनंतिम होगी।

4.2 आवश्यक व्यवसायिक योग्यता :

क. सं.	विधा का नाम	व्यवसायिक योग्यता
01	तंतु वाद्य यंत्र अथवा हवा से बजने वाले वाद्य यंत्रों को बजाने वाला कलाकार (जैसे गिटार, सितार, वीणा, वॉयलीन, मेंडोलीन, बांसुरी, सैक्सोफोन इत्यादि)	संबंधित विषय में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री / डिप्लोमा / सर्टिफिकेट प्राप्त करना
02	तबला वादक	

(i) तार या वायु वाद्य यंत्रों की शिक्षा के लिए – इत्यादि का अर्थ है {(i) गिटार / वायलिन / मैंडोलिन / इसी प्रकार के वाद्य यंत्र बजाना। समान का अर्थ है अन्य समान तार वाले वाद्य यंत्र। (तार वाला वाद्य यंत्र, कोई भी संगीत वाद्य जो खिंचे हुए तारों के कंपन से ध्वनि उत्पन्न करता है) किसी भी सामग्री लकड़ी, धातु आदि का हो सकता है। (ii) बांसुरी / सैक्सोफोन / इसी प्रकार के वाद्य यंत्र। समान का अर्थ है अन्य समान वायु वाद्य यंत्र (वायु वाद्य यंत्र एक संगीत वाद्य यंत्र है जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हवा का उपयोग करता है) किसी भी सामग्री लकड़ी, धातु आदि का हो सकता है।}

(ii) पैरा 4.2 में उल्लेखित विधा में दक्षता का आंकलन व्यवहारिक प्रदर्शन (प्रेक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन) के दौरान किया जावेगा।

(iii) उम्मीदवार आवश्यक व्यावसायिक योग्यता के लिए सहायक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।

(iv) केवल सीबीटी परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को मेरिट के अनुसार व्यवहारिक प्रदर्शन (प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन) के लिए बुलाया जाएगा।

4.3 वांछनीय :

क) क्षेत्र में अनुभव और आकाशवाणी/दूरदर्शन आदि पर दिया गया प्रदर्शन।

ख) राष्ट्रीय स्तर पर जीते गये पुरस्कारों

<u>नोट :–</u>

क) उपरोक्त 4.2 के अनुसार कोई प्रोफेशनल योग्यता नहीं रखने वाले उम्मीदवारों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

ख) इस अधिसूचना के विरूद्ध ऑनलाईन आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को स्वयं को संतुष्ट होना चाहिए कि उनके पास उपरोक्त पद के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से अपेक्षित योग्यताएं हैं। निर्धारित योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा करने वाले पात्र नहीं हैं एवं इसलिए आवेदन नहीं करना चाहिए।

ग) अधिसूचित पद अजा/अजजा/अपिव/पीडब्ल्यूडी/भूतपूर्व सैनिक से संबंधित श्रेणियों के उम्मीदवार जो इस अधिसूचना के तहत आवेदन कर रहे हैं को सामान्य खुले बाजार में भर्ती हेतु लागू छूट दी जाएगी। यद्यपि, उपरोक्त श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवार होने के कारण किसी भी छूट के साथ चयनित होने के मामले में, उसे आरिक्षित रोस्टर बिंदु के विरूद्ध लिया जाएगा। यदि अपलोड किये गये संबंधित जाति प्रमाण पत्र वैध नहीं पाये जाते हैं, तो सामान्य श्रेणी के मानदंडों को पूरा करने वाले ऐसे उम्मीदवारों को अनारक्षित माना जाएगा। (संदर्भ – आरबीई संख्या 127/2011 दिनांक 22/09/2011)

घ) केवल पश्चिम मध्य रेल की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत/भरने मात्र से उम्मीदवार को सीबीटी के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

ड) पात्रता शर्तों को पूरा करने के लिए चयन प्रक्रिया के सभी चरणों में आवेदक की उम्मीदवारिता अनंतिम है।

5. आयु सीमा (01/01/2025 को)

लेवल	आयु समूह	जन्मतिथि की ऊपरी सीमा			सभी के लिए जन्मतिथि की निम्न सीमा	टिप्पणी
		अनारक्षित	अपिव	अजा/अजजा		
लेवल–2	18 से 30 (सामान्य के लिए) तथा 5 वर्ष अजा/अजजा के लिए, 3 वर्ष अपिव के लिए	02/01/1995	02/01/1992	02/01/1990	01/01/2007	प्रत्येक श्रेणियों के लिए नीचे दिए गए पैरा 6 में दर्शाए अनुसार आयु सीमा में छूट लागू होगी।

नोट – उम्मीदवारों की जन्मतिथि उपरोक्त तालिका में दिए गए तिथियों (दोनों तिथि शामिल है) के बीच होनी चाहिए।

6. आयु में छूट की सीमा :–

6.1 सेवारत रेल कर्मचारी जिन्होंने न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा (निरंतर या भंग सेवा) की है, को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी, जो कि सामान्य के लिए 40 वर्ष, अपिव के लिए 43 वर्ष तथा अजा/अजजा के लिए 45 वर्ष की आयु सीमा के शर्ताधीन होगी।

6.2 रेल संगठन के अर्ध प्रशासनिक कार्यालयों जैसे रेलवे केंटीन, को–ऑपरेटिव सोसाइटी एवं संस्थान के स्टाफ के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट उनके द्वारा की गई सेवा अवधि तक (तथापि अधिकतम 5 वर्ष की) होगी। उन्हें अपने आवेदन के साथ सेवा प्रमाण–पत्र, जिसमें उसके प्रदान किए गए सेवा अवधि का उल्लेख हो, जो उनके नियंत्रक अधिकारी द्वारा उचित रूप से जारी किया गया हो, के साथ–साथ अन्य संबंधित दस्तावेज संलग्न करना होगा।

6.3 विधवा/तलाकशुदा महिला/न्यायिक रूप से पति से अलग रहने वाली महिला परंतु पुनर्विवाह न हो सामान्य – 35 वर्ष तक, अपिव–38 वर्ष तक, अजा/अजजा–40 वर्ष तक की छूट।

6.4 दिव्यांगों के लिए : सामान्य –40 वर्ष, अपिव–43 वर्ष तथा अजा/अजजा–45 वर्ष तक की छूट ।

6.5 01/01/1980 से 31/12/1989 तक की अवधि के दौरान जम्मू व कश्मीर राज्य के सामान्य रूप से अधिवासित व्यक्तियों के लिए 05 वर्ष तक की छूट ।

6.6 भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार : रक्षा सेवा में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि सहित 3 वर्ष अतिरिक्त की छूट प्रदान की जाएगी बशर्ते कि उन्होंने एटेस्टेशन के उपरांत न्यूनतम 6 माह सेवा प्रदान किया हो।

7. आवेदन तथा शुल्क का भुगतान कैसे करें :

7.1 पश्चिम मध्य रेल की वेबसाईट www.wcr.indianrailways.gov.in पर जायें।

7.2 अनुदेशों को पढ़ने के लिए पाथ इस प्रकार है :–About us→Recruitment→ Railway Recruitment Cell→ Cultural Notification→ Notification for Cultural Quota Recruitment (2024-25) पर क्लिक करें।

अथवा

'Notification for Cultural Quota Recruitment (2024-25)' होम पेज के महत्वपूर्ण निर्देशो पर उपलब्ध रहेगा।

7.3 पंजीयन संख्या के लिए ''नये पंजीयन''(न्यू रजिस्ट्रेशन) पर क्लिक करें।

7.4 पंजीयन संख्या एवं पासवर्ड के साथ लॉग इन करें।

7.5 विवरण भरें, फोटो, हस्ताक्षर, प्रमाण–पत्र (अर्थात शैक्षणिक योग्यता, जन्म प्रमाण–पत्र, सांस्कृतिक योग्यता, जाति प्रमाण–पत्र इत्यादि) अपलोड करें।

7.6 ''परीक्षा शुल्क (इक्जामिनेशन फी)'' पर क्लिक करें ।

क) सर्च बार में रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेल जबलपुर (RAILWAY RECRUITMENT CELL WEST CENTRAL RAILWAY JBP) को सर्च करें एवं इसका चयन करें।

ख) भुगतान श्रेणी का चयन करें और सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें एवं अगला (Next) पर क्लिक करें।

ग) भुगतान विवरण का सत्यापन करें एवं अगला (Next) पर क्लिक करें।

घ) उपलब्ध विकल्पों में से भुगतान विकल्प चुनें और लेनदेन करें।

ड.) लेन–देन के सफल समापन पर, उम्मीदवार द्वारा दर्ज की गई तारीख के साथ ई–रसीद जनरेट होगी जिसे उम्मीदवार द्वारा भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए/प्रिंट आउट निकालना चाहिए।

च) यदि ऑनलाइन लेनदेन सफलतापूर्वक पूरा नहीं हुआ है, तो कृपया पुनः ऑनलाइन भुगतान करें।

8. आवेदन–पत्र के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज :

8.1 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ ।

स्कैन किया हुआ फोटोग्राफ/फोटोग्राफ की सॉफ्ट कॉपी – उम्मीदवारों को अपना रंगीन फोटो (आकार 3.5 सेमी x 3.5 सेमी, जो आवेदन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, जेपीजी/जेपीईजी फॉर्मेट, 100 डीपीआई, फ़ाइल का आकार 20 केबी –70 केबी के बीच होना चाहिए) जो बिना टोपी और धूप चश्मे के हो तथा उम्मीदवार के सामने का दृश्य स्पष्ट हो, अपलोड करना आवश्यक है। उम्मीदवार ध्यान दें कि आरआरसी/पमरे किसी भी चरण में पुराने/अस्पष्ट फोटोग्राफ अपलोड करने या आवेदन पत्र में अपलोड किए गए फोटोग्राफ और उम्मीदवार की वास्तविक शारीरिक कद काठी के बीच किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव के लिए आवेदनों को अस्वीकार कर सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे बाद में दस्तावेज सत्यापन के समय लाने के लिए उसी फोटोग्राफ की दो अतिरिक्त प्रतियां अपने पास तैयार रखें।

8.2 हस्ताक्षर ।

स्कैन किए गए हस्ताक्षर/हस्ताक्षर के इमेज की सॉफ्ट कॉपी– उम्मीदवारों को अपने हस्ताक्षर (आकार 3.5 सेमी x 2.5 सेमी, जेपीजी/जेपीईजी फॉर्मेट, 100 डीपीआई, फ़ाइल का आकार 20 केबी से 30 केबी के बीच होना चाहिए) अपलोड करना आवश्यक है। ब्लॉक/कैपिटल या असम्बद्ध अक्षरों में स्कैन किए गए हस्ताक्षर को अस्वीकार किया जा सकता है।

8.3 आधार कार्ड की प्रति।

8.4 जन्म तिथि के प्रमाण स्वरूप 10वीं के प्रमाण पत्र की प्रति।

8.5 परीक्षा शुल्क/आयु में छूट संबंधी प्रमाण पत्र जैसे–अ.जा./अ.ज.जा./अपिव/ईबीसी (आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग)/अल्पसंख्यक/दिव्यांग प्रमाण पत्र इत्यादि। (अनुलग्नक–ए/बी/सी/डी/ ई/एफ)

8.6 अधिसूचना के पैरा 4.1 के अनुसार, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र की प्रति।

8.7 अधिसूचना के पैरा 4.2 एवं 4.3 के अनुसार, सांस्कृतिक योग्यता के प्रमाण पत्र की प्रति।

8.8 पैरा 12.4 के संदर्भ मे अनापत्ति प्रमाण पत्र/संबंधित दस्तावेज की प्रति।

8.9 सफलतापूर्वक किये गये शुल्क भुगतान की रसीद।

9. परीक्षा शुल्क :–

9.1 नीचे दिये गये उप–पैरा 9.2 में उल्लेखित उम्मीदवारों को छोड़कर शेष सभी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क रू. 500/– (पांच सौ रूपये मात्र) है। इस राशि में से बैंक शुल्क काटने के बाद रू.400/– उन उम्मीदवारों को वापस करने का प्रावधान है जो अधिसूचना के अनुसार पात्र पाए जाते हैं एवं वास्तव में सीबीटी परीक्षा में उपस्थित होते हैं।

9.2 अ.जा./अ.ज.जा./दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)/भूतपूर्व सैनिक/महिला/अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क रू. 250/– (केवल दो सौ पचास रूपये) है। इस राशि में से बैंक शुल्क की कटौती के बाद अधिसूचना के अनुसार पात्र पाए गए तथा वास्तव में सीबीटी परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को वापस करने का प्रावधान है।

9.3 परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन करते समय केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप (एनेक्जर–ए, बी, सी, एफ) में अ.जा./अ.ज.जा./दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/ अल्पसंख्यक वर्ग का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

9.4 ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए हैं तो उन्हें अनारक्षित उम्मीदवार माना जाएगा बशर्ते कि उन्होंने रू. 500/– परीक्षा शुल्क के रूप में जमा किया हो।

9.5 इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट/क्रेडिट कार्ड द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाईन किया जाए (सभी बैंकों के लिए लागू सेवा शुल्क का वहन उम्मीदवारों द्वारा किया जायेगा)

9.6 बिना परीक्षा शुल्क वाले आवेदनों को जहॉ कहीं अपेक्षित है, सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

9.7 आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवार का तात्पर्य उन उम्मीदवारों से है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रु. 50000/– (पचास हजार रूपये) से कम है। उन्हें अनुलग्नक 'बी' में दिए गए प्रारुप के अनुसार आय प्रमाण–पत्र अपलोड करना होगा।

9.8 अल्पसंख्यक का तात्पर्य मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी तथा जैन से है।

9.9 दिव्यांग केवल वे उम्मीदवार नौकरी/पद के लिए योग्य माने जाएंगे, जिनकी अशक्ता 40**%** से कम नहीं है।

9.10 आवेदन पत्र भरते समय उपरोक्त पैरा 9.1 एवं 9.2 के अनुसार पात्र उम्मीदवारों को बैंक शुल्क काटने के बाद शुल्क की वापसी की सुविधा के लिए लाभार्थी बैंक खाते का सही विवरण जैसे – लाभार्थी का नाम, बैंक का नाम, खाता संख्या और आई एफ एस सी कोड प्रदान करना चाहिए जिस खाते में वे शुल्क की वापसी प्राप्त करना चाहते हैं। अपात्र पाए गए उम्मीदवारों को शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। जो उम्मीदवार पात्र नहीं हैं, लेकिन फिर भी आवेदन करते हैं, तो उन्हें भी शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

10. **अमान्य/अस्वीकृत आवेदनः**–उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व समस्त अनुदेशों को पूर्णतः पढ़ लें अन्यथा उनके आवेदन निम्न एक या अधिक कारणों से अस्वीकृत किये जा सकते हैं। निम्नलिखित त्रुटियों एवं अनियमिताओं वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगाः–

(i) ऐसे आवेदक जो इस अधिसूचना के पैरा 4.1 एवं 4.2 में दिये गये भर्ती के मानदंड की शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं।

(ii) अधिक आयु या कम आयु ।

(iii) इस अधिसूचना के पैरा 8 के अनुसार, प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किये गये/अपलोड प्रमाण पत्र अपठनीय है।

(iv) अन्य कोई अनियमितताएं, जिसे रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ अवैध समझता हो।

उम्मीदवार की उम्मीदवारी को निम्नलिखित आधार पर भी खारिज किया जा सकता है यदि (i) उम्मीदवार एक ही पद और श्रेणी के लिए कई आवेदन जमा करता है; (ii) उम्मीदवार एक ही पद और श्रेणी के लिए विभिन्न समुदाय के साथ कई आवेदन प्रस्तुत करता है; (iii) उम्मीदवार एक ही पद और श्रेणी के लिए अलग–अलग फोटो (चेहरे) के साथ कई आवेदन जमा करता है और (iv) उम्मीदवार एक ही पद और श्रेणी के लिए विभिन्न दस्तावेजों के साथ कई आवेदन जमा करता है।

यदि किसी उम्मीदवार का आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो वह पश्चिम मध्य रेलवे की वेबसाइट पर अस्वीकृति के कारणों के साथ अपनी स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे। यदि उम्मीदवार के ऑनलाइन आवेदन में एसएमएस और ईमेल अलर्ट से इस संबंध में सूचित करने हेतु निर्देश दिए गए हैं तो एसएमएस और ईमेल अलर्ट भी उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों और ई–मेल आईडी पर भेजे जाएंगे। अस्वीकृति के कारण (कारणों) के बारे में उम्मीदवारों को डाक द्वारा सूचित नहीं किया जाएगा।

11. **भर्ती प्रक्रिया :–**

11.1 पात्र उम्मीदवारों को सीबीटी परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। सीबीटी परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को मेरिट के अनुसार व्यवहारिक प्रदर्शन (प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन) के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवार, जो सभी तरह से पात्र पाये जाते हैं, उन्हें निम्नलिखित आधार पर विचार किया जाएगा–

(ए)	लिखित परीक्षा	50 अंक
	नोट—लिखित परीक्षा में 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। **सीबीटी परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होगी और प्रश्न के लिए आवंटित अंकों के 1/3 अंक को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए काट दिया जाएगा।**	
(बी)	प्रासंगिक क्षेत्र में प्रतिभा का आंकलन	
	व्यवहारिक प्रदर्शन (प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन) का आधार	35 अंक *
	प्रशंसापत्र/पुरस्कार इत्यादि	15 अंक **
	कुल	100 अंक

*** अंक व्यावहारिक प्रदर्शन के आधार पर आवंटित किए जाएंगे, जिसमें लय, तालमेल, शास्त्रीय संगीत पद्धति, समग्र प्रभाव आदि शामिल हैं और/या भर्ती समिति द्वारा तय किए गए किसी अन्य मानदंड शामिल हैं।**

**** अंक सांस्कृतिक योग्यता और सांस्कृतिक उपलब्धि और/या भर्ती समिति द्वारा तय किए गए किसी अन्य मानदंड के तहत आवंटित किए जाएंगे।**

नोट :— सभी प्रमाण पत्र अधिसूचना के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि (अर्थात 08/10/2024) या उससे पहले जारी होने चाहिए।

11.2 सीबीटी परीक्षा, व्यवहारिक प्रदर्शन (प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन)/दस्तावेज सत्यापन की तिथि, समय एवं स्थान रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ—पश्चिम मध्य रेल द्वारा निर्धारित किया जाएगा एवं इसे पश्चिम मध्य रेल की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा साथ ही पात्र उम्मीदवारों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। सीबीटी परीक्षा, व्यवहारिक प्रदर्शन (प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन)/दस्तावेज सत्यापन के स्थगन का अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11.3 प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रकार का होगा। प्रश्न पत्र अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा में होगा।

11.4 सीबीटी परीक्षा 45 मिनट की अवधि की होगी।

11.5 उम्मीदवारों को सीबीटी परीक्षा के केन्द्र पर परीक्षा हाल में अनुवीक्षक की उपस्थिति में दिये गये पैराग्राफ को लिखना, हस्ताक्षर करना एवं बांये हाथ के अंगूठे का निशान लगाना होगा तथा इसे अनुवीक्षक को परीक्षा के समापन से पहले सौंप देना होगा। उम्मीदवारों द्वारा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में पैराग्राफ लिखने और/या हस्ताक्षर करने पर उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

11.6 सभी उम्मीदवारों के लिए सीबीटी परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक 40% हैं।

12. महत्वपूर्ण निर्देश :—

12.1 उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सांस्कृतिक कोटा के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। इस अधिसूचना में अधिसूचित पद के लिए उम्मीदवारों की पात्रता का विनिश्चय उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई सूचना के आधार पर किया जाएगा। यदि भर्ती के किसी चरण में या उसके बाद, यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा आवेदन में दी गई कोई सूचना झूठी/गलत है या उम्मीदवार ने कोई संगत सूचना छिपाई है या उक्त पद (पदों) के लिए उम्मीदवार की पात्रता मापदण्डों को अन्यथा पूरा नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी तत्काल रद्द कर दी जाएगी।

12.2 उम्मीदवारों को अल्प सूचना पर सीबीटी परीक्षा, व्यवहारिक प्रदर्शन (प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन) एवं दस्तावेज सत्यापन, आदि में बैठने के लिए तैयार रहना चाहिए। बुलावा—पत्र संबंधी सूचना उनके ऑनलाइन आवेदन में निर्दिष्ट पंजीकृत मोबाइल संख्या पर एसएमएस द्वारा एवं ई—मेल पते पर ई—मेल एलर्ट (सतर्क) के माध्यम से भेजी जाएगी।

12.3 पैरा 5, 6 एवं 9 में उल्लिखित कोटियों से संबंधित उम्र में छूट/शुल्क में छूट मांगने वाले उम्मीदवारों को व्यवहारिक प्रदर्शन (प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन) एवं दस्तावेज सत्यापन के समय संलग्नकों में दिए गए अनुसार अपेक्षित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी।

12.4 रेलवे सहित केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन/सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम में पहले से ही नियुक्त उम्मीदवारों को व्यवहारिक प्रदर्शन (प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन) एवं दस्तावेज सत्यापन के समय अपने नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए अन्यथा उनकी उम्मीदवारी सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी।

12.5 नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों को चयनित पद के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार अपेक्षित चिकित्सा स्वस्थता जांच पास करना होगा।

12.6 इन पदों के लिये परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले (योग्य पाये गये) परंतु चिकित्सा परीक्षा में विफल होने वाले उम्मीदवारों को किसी भी परिस्थिति में किसी वैकल्पिक नियुक्ति के लिये विचार नहीं किया जायेगा।

12.7 किसी भी रूप में अनुयाचन उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित कर देगा।

12.8 उम्मीदवारों को उपयुक्त प्राधिकारी से उचित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सत्यापन के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा और ऐसा न कर सकने पर उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। यह विवरणिका (भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित) के अध्याय 11 द्वारा सर्वथा अपेक्षित है। पिछली भर्तियों में यह देखा गया है कि भारी संख्या में उम्मीदवार उपयुक्त प्राधिकारी से भिन्न प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, अतः उन्हें अनुदेशों का सख्ती से पालन करने के लिए सूचित किया जाता है।

12.9 अजा/अजजा/अपिव उम्मीदवारों की दशा में सक्षम प्राधिकारी, जो कि तहसीलदार से नीचे के रैंक का न हो, द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। अपिव के उम्मीदवारों को आयु में छूट का लाभ लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना की अंतिम तिथि से एक वर्ष पूर्व तक का जारी केन्द्र सरकार के प्रपत्र में अपिव नॉन–क्रीमी–लेयर (गैर नवोन्नत वर्ग) प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र में धर्म, जाति, जारी तिथि आदि समाविष्ट होना चाहिए एवं उस पर जारीकर्ता प्राधिकारी का मुहर लगा होना चाहिए।

12.10 **इस पद के लिए आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवार को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे अधिसूचना में निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं और उसे अपने आवेदन के साथ पैरा–8 में उल्लिखित समस्त आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना अपेक्षित है। भर्ती के अगले चरण में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत कोई अन्य दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा और रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पमरे के पास भर्ती के किसी भी चरण में पात्रता शर्तों को पूरा न करने वाले किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।**

12.11 उम्मीदवारों को व्यवहारिक प्रदर्शन (प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन) एवं दस्तावेज सत्यापन के दिन जन्मतिथि प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक अर्हता प्रमाण–पत्र, सांस्कृतिक योग्यता से जुड़े प्रमाण–पत्र एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज, सभी मूल प्रति में, अवश्य लाने होगे जिसके बिना उन्हें इसमें बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

12.12 उम्मीदवारों को व्यवहारिक प्रदर्शन (प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन) एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान कोई यात्रा/दैनिक भत्ता/आवास नहीं दिया जायेगा। उम्मीदवार को चयन के दौरान 2–3 दिनों के लिये ठहरना पड़ सकता है जिसके लिये उन्हें स्वयं अपनी व्यवस्था करनी होगी। रेल प्रशासन के पास मान्य तिथि निर्धारित करने, व्यवहारिक प्रदर्शन (प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन) एवं दस्तावेज सत्यापन स्थगित करने, स्थान परिवर्तन करने या अप्रत्याशित कारणों से व्यवहारिक प्रदर्शन (प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन) एवं दस्तावेज सत्यापन रद्द करने का अधिकार है और किसी उम्मीदवार द्वारा इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है।

12.13 सफल उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार पश्चिम मध्य रेल पर कहीं भी पदस्थ/तैनात किया जाएगा जो रिक्तियों की उपलब्धता के अध्याधीन होगा और वे 05 वर्षों की अवधि के लिये पश्चिम मध्य रेल से बाहर स्थानांतरण की मांग नहीं कर सकते हैं।

12.14 प्रमाण पत्रों के हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा में होने पर उसके हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में अनुवाद की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना चाहिए।

12.15 आवेदन में यदि कोई भी अनियमितता/कमी पाई जाती है तो रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ को यह पूर्ण अधिकार सुरक्षित है कि भर्ती प्रकिया के किसी भी स्तर पर किसी भी आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त कर सकता है।

12.16 रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ के पास किसी भी स्तर पर अतिरिक्त सीबीटी परीक्षा/व्यवहारिक प्रदर्शन (प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन)/दस्तावेज सत्यापन के आयोजन का अधिकार सुरक्षित है। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ के पास रोजगार अधिसूचना में अधिसूचित किसी भी श्रेणियों के लिए किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताये किसी भर्ती प्रक्रिया का आंशिक अथवा संपूर्ण भाग निरस्त करने का भी अधिकार सुरक्षित है।

12.17 पात्रता, आवेदन की स्वीकारिता अथवा निरस्त करना, मुफ्त रेलवे पास जारी करना, गलत जानकारी हेतु दण्ड, चयन का तरीका, सीबीटी परीक्षा/व्यवहारिक प्रदर्शन (प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन)/दस्तावेज सत्यापन का आयोजन, परीक्षा केन्द्रों का आवंटन, चयन, चयनित उम्मीदवारों को पदों का आवंटन आदि समस्त मामलों में रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ का निर्णय अंतिम होगा तथा उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ/रेलवे प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की जांच पड़ताल अथवा पत्राचार नहीं किया जायेगा।

12.18 रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ किसी भी असावधानीवश हुई गलती के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

12.19 पैनल को अंतिम रूप देने के पश्चात विशिष्ट श्रेणी तथा नियुक्ति स्थान का निर्णय उचित प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा।

12.20 भर्ती के समस्त स्तरों पर उम्मीदवार की भर्ती पूरी तरह से अस्थायी होगी तथा अधिसूचना के अनुदेश एवं निर्धारित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने के अधीन होगी। सीबीटी परीक्षा हेतु तिथि केवल पश्चिम मध्य रेल की वेबसाइट www.wcr.indianrailways.gov.inपर अधिसूचित की जाएगी।

12.21 प्रवेश–पत्र पमरे की वेबसाइट www.wcr.indianrailways.gov.inसे डाउनलोड किये जा सकते हैं।

12.22 रेल प्रशासन द्वारा किसी उम्मीदवार का चयन उन्हें उस पद पर नियुक्ति का अधिकार प्रदान नहीं करता है।

12.23 रेल प्रशासन किसी डाक विलंब या गलत सुपुर्दगी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

12.24 रेलवे प्रशासन के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वो असावधानीवश हुए भूल या गलतियों को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर सुधार कर सकता है और भूलवश नियुक्त किए गए अभ्यर्थी को रेलवे सेवा से सरसरी तौर पर निकाल सकता है।

12.25 **किसी भी व्याख्या या गलती की स्थिति में केवल रोजगार अधिसूचना का अंग्रेजी संस्करण वैध माना जाएगा।**

13. छद्मरूपण / तथ्यों को छिपाना / चेतावनीः–

13.1 कोई भी अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर छद्मरूपण या छद्मरूपधारी का सहारा नहीं लेगा। ऐसे अभ्यर्थी पर रेलवे भर्ती बोर्ड / रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में भाग लेने से आजीवन वंचित कर दिया जाएगा तथा साथ ही रेलवे में किसी भी नियुक्ति पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है ।

13.2 कोई अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा में शामिल होने हेतु मुफ्त यात्रा की सुविधा सहित पात्रता पाने या सुविधाएं प्राप्त करने हेतु किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाने या जाली प्रमाण–पत्र / जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी उम्मीदवारी उस विशेष भर्ती हेतु निरस्त कर दी जाएगी जिसके लिए उसने आवेदन किया है। तथा अगले दो वर्षों की अवधि तक पूरे देश के सभी रेलवे भर्ती बोर्ड / रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं हेतु उसे अमान्य कर दिया जाएगा एवं अगर आवश्यकता हुई तो उसके खिलाफ कानूनी कारवाई प्रारंभ की जाएगी।

चेतावनी :– दलालों एवं नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आपको अपने प्रभाव से या अनुचित व अनैतिक तरीके से रेलवे में नौकरी दिलाने के असत्य वादे कर आपको धोखा देने का प्रयास करते हैं। अतः उनसे सावधान रहें। रे.भ.प्र.ने अपनी ओर से कार्य करने के लिए किसी एजेंट या कोचिंग केंद्र की नियुक्ति नहीं की है। अभ्यर्थियों को किसी व्यक्ति / एजेंसी द्वारा ऐसे दावों के विरूद्ध चेतावनी दी जाती है। अभ्यर्थियों का चयन पूर्ण रूप से योग्यता के आधार पर ही किया जाता है। कृपया ऐसे अनैतिक तत्वों से सावधान रहें और उनके झांसे में न फसें। रे.भ.प्र.को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तथा उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

14. <u>विधिक मामलेः</u> **इस रोजगार अधिसूचना से उत्पन्न होने वाला कोई भी कानूनी मामला केवल केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर के कानूनी अधिकार क्षेत्र में आएगा।**

15. संक्षिप्तियॉ :–

(क) अजा – अनुसूचित जाति
(ख) अजजा – अनुसूचित जनजाति
(ग) अपिव– अन्य पिछड़ा वर्ग
(घ) सीबीटी – कम्प्यूटर आधारित परीक्षा
(ड.) ईबीसी– आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग
(च) आरआरसी–रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ
(छ) पमरे – पश्चिम मध्य रेल

अध्यक्षा
रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ
पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर

संलग्न : अनुलग्नक–ए, बी, सी, डी, ई एवं एफ (अधिसूचना के पैरा 7.2 के अनुसार **www.wcr.indianrailways.gov.in**पर दिये गये लिंक पर उपलब्ध हैं)